राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग

क्रमांकः–प.2(157)का./क–3/शिका./1997 जयपुर, दिनांक :– 06 NOV 2023

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
समस्त संभागीय आयुक्त/
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरो सहित)

परिपत्र

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व पुलिस विभाग द्वारा लोक सेवकों के विरूद्व दर्ज आपराधिक प्रकरणों में यदि विभागीय आचरण नियमों का भी उल्लंघन किया जाना पाया जाता है, तो ऐसे लोक सेवकों के विरूद्व न्यायिक कार्यवाही के साथ–साथ प्रकरण के तथ्यों के परीक्षण उपरांत समानान्तर रूप से अनुशासनिक कार्यवाही भी किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(157)का./क–3/97 दिनांक 30.08.2017 एवं 22.04.2019 द्वारा प्रसारित हैं। राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया कि उक्त परिपत्रों की पालना पूर्ण रूप से नहीं की जा रही है।

मा0 उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11194/2023 में दिनांक 05.10.2023 को आदेश पारित कर भ्रष्टाचार से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में लोक सेवक के विरूद्व विधि अनुसार की जाने वाली न्यायिक/अनुशासनिक कार्यवाही को किये जाने में बरती जा रही उपेक्षा एवं विलम्ब की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए, इसमें सुधार हेतु आवश्यक उपाय करने के साथ ऐसे आरोपित लोक सेवकों एवं उनके विरूद्व यथोचित कार्यवाही किये जाने में उपेक्षा/विलम्ब कारित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.08.2017 एवं 22.04.2019 द्वारा जारी निर्देशों की निरन्तरता में यह निर्दिष्ट किया जाता है कि आपराधिक प्रकरणों में एफ. आई.आर. की प्रति प्राप्त होने के उपरान्त आरोपित लोक सेवक के कृत्य से यदि प्रथम दृष्ट्या आचरण नियमों का उल्लघंन किया जाना पाया जाता है तो आरोपित लोक सेवक के विरूद्व अधिकतम तीन माह की समयावधि में सक्षम प्राधिकारी के स्तर से अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

आरोपित लोक सेवक के विरुद्ध उपरोक्तानुसार संस्थित हो सकने वाली अनुशासनिक कार्यवाही में यदि जानबूझकर उपेक्षा/विलम्ब कारित किया गया है, तो ऐसी उपेक्षा/विलम्ब कारित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जावें।

कृपया उक्त निर्देशों की पालना कठोरता से सुनिश्चित करावें।

6/11/23
(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिदेशक, पुलिस/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

6/11
(डॉ. एस.पी.सिंह)
शासन संयुक्त सचिव